मो0 खुरशीद आलम अन्सारी, बि0प्र0से0, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा दिनांक–21.06.2014 को ग्राम पंचायत जजहट सबैला, प्रखंड सिंहेश्वर की अभिलिखित निरीक्षण टिपण्णी –

(क) परिचय :– (i) यह पंचायत प्रखंड मुख्यालय, सिंहेश्वर से 03 कि0मी0 एवं समाहरणालय से 04 कि0मी0 की दूरी पर मधेपुरा सिंहेश्वर एन0एच0–106 के पूरब भाग में अवस्थित है। पंचायत के उत्तर में सिंहेश्वर एवं गौड़ीपुर पंचायत, दक्षिण में साहुगढ़–2 एवं नगर परिषद, मधेपुरा, पूरब में ईटहरी गहुमनी तथा दक्षिण में सुखासन अवस्थित है।

पंचायत सचिव द्वारा ग्राम पंचायत जजहट सबैला का परिचय अधूरा अंकित किया गया है। इस पंचायत की कब स्थापना हुई, कब से संचालित है? पंचायत की स्थापना के बाद किस–किस अवधि में कौन–कौन मुखिया कार्यरत रहे इसका उल्लेख अंकित नहीं किया गया है। साथ ही पंचायत सचिवों की कार्यावधि का भी उल्लेख नहीं किया गया है। इस पंचायत से संबंधित मूलभूत आँकड़े भी उपलब्ध नहीं कराये गये हैं।

वर्त्तमान समय में श्री नारायण मेहता पंचायत सचिव फरवरी, 2014 में योगदान किये हैं। जैसा कि उन्होनें बताया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिंहेश्वर के कार्यालय आदेश ज्ञापांक–96–2, दिनांक–28.01.2014 के आलोक में श्री मेहता ने जजहट सबैला पंचायत में योगदान किया। परन्तु उन्हें पंचायत का आंशिक प्रभार तत्कालीन पंचायत सचिव श्री शंभूशरण द्वारा दिनांक–15.06.2014 को दिया गया। श्री मेहता ने बताया कि रोकड़ पंजी के रूप में उन्हें बी0आर0जी0एफ0 की दो रोकड़ पंजी एक पुरानी जो 29.04.20123 से संधारित है तथा एक नई पंजी जो दिनांक–01.04.2012 से 31.03.2014 तक तत्कालीन पंचायत सचिव श्री शंभूशरण द्वारा संधारित एवं हस्ताक्षरित है। इसी के साथ चतुर्थ वित्त राज्य आयोग की एक मात्र रोकड़ पंजी जो दिनांक–13.08.2012 से 31.03.2014 तक तथा तेरहवाँ वित्त आयोग की रोकड़ पंजी जो दिनांक–01.04.2013 से 31.03.2014 तक तत्कालीन पंचायत सचिव श्री शरण द्वारा संधारित एवं हस्ताक्षरित है। तेरहवां वित्त आयोग की योजना पंजी, बी0आर0जी0एफ0 की योजना पंजी के साथ वर्ष 2012–13 से 2013–14 तक संधारित। चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की योजना पंजी श्री शरण द्वारा श्री मेहता को प्रभार में दिये जाने की बात वर्त्तमान पंचायत सचिव ने बतायी। इसी प्रकार श्री मेहता सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मधेपुरा शाखा में संधारित खाता संख्या– 3016515977 तथा 3016516277, पी0एन0बी0, सिंहेश्वर में संधारित खाता संख्या–6403000100012328 के साथ सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मधेपुरा की बचत खाता संख्या– 3016516277 का चेक बुक संख्या–089141 से 089160 एवं खाता संख्या–3016515977 का चेक बुक संख्या–090181 से 090200, पंजाब नेशनल बैंक, सिंहेश्वर की बचत खाता संख्या– 6403000100012328 का चेक संख्या–368461 से 368480 एवं चेक बुक संख्या–055961 से 055980 प्रभार के रूप में वर्त्तमान पंचायत सचिव को श्री शरण द्वारा हस्तगत कराया गया है।

वर्त्तमान पंचायत सचिव श्री मेहता एवं मुखिया श्रीमति सोगरा खातुन ने बताया कि श्री शंभूशरण दिनांक–30.11.2011 से 31.03.2014 तक इस पंचायत के प्रभार के प्रभार में रहे। परन्तु आश्चर्य है कि दिनांक–28.01.2014 को प्रखंड विकास पदाधिकारी के आदेश के बावजूद श्री शरण दिनांक–31.03.2014 तक जबरन पंचायत कार्यालय के प्रभार में कैसे बने रहे एवं रोकड़ पंजी तथा पासबुक आदि का आंशिक प्रभार उनके द्वारा दिनांक–15.06.2014 को लगभग 4.5 (साढे चार) महीने बाद दिया जाना श्री शंभूशरण की गलत मंशा एवं पंचायत सचिव के वित्तीय मामले में Back Date से Cheque काटने की गलत मंशा एवं गबन की नियत को दर्शाता है। आजतक श्री शरण द्वारा पंचायत का सभी प्रभार वर्त्तमान पंचायत सचिव को नहीं दिया जाना उनकी सोद्वेश्य मानसिकता की पुष्टि करता है, जो अत्यंत गंभीर एवं गहन जॉच का विषय है।

वर्त्तमान पंचायत सचिव का कहना है कि उनके द्वारा सिंहेश्वर प्रखंड की सप्ताहिक मंगलवारी बैठक में समय-समय पर कार्यवाही पंजी में श्री शंभूशरण द्वारा प्रभार नहीं सौंपने की बात कही गयी है। इसके बावजूद तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी श्रीमति राजलक्ष्मी द्वारा कोई भी अनुशसनिक कार्रवाई श्री शरण के विरुद्ध नहीं किया जाना श्री शरण की वित्तीय अनियमितता में तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी के सहयोग एवं अप्रत्यक्ष संलिप्तता को भी परिलक्षित करता है। आश्चर्य का विषय है कि श्रीमति शंभूशरण द्वारा कमरगामा एवं जजहट सबैला के पंचायतों के कागजात का प्रभार नहीं सौंपने के बावजूद किस परिस्थति में तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी श्रीमति राजलक्ष्मी द्वारा श्री शरण के नाम अंतिम वेतन प्रमाण पत्र (LPC) निर्गत किया गया। यह भी मामले की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को दर्शाता है।

वर्त्तमान प्रखंड विकास पदाधिकारी श्रीमति अरूणा कुमारी सिंह को आदेश दिया जाता है कि श्री शंभूशरण, प्रखंड-सिंहेश्वर अन्तर्गत जिन-जिन पंचायतों के प्रभार में रहे हैं तथा उनके द्वारा जब-जब विभिन्न विकास एवं समाजिक सुरक्षा तथा कल्याण संबंधी योजनाओं में अग्रिम प्राप्त किया गया था एवं उनके विरुद्ध जितने अभिश्रव समर्पित किये गये हैं, उनसब का ब्यौरा रोकड़ पंजी/ अग्रिम पंजी तथा अभिश्रव पंजी की छायाप्रति के साथ अपने मंतव्य सहित प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर समर्पित करना सुनिश्चित करें। साथ ही प्रथम दृष्टया वित्तीय अनियमितता /गवन के मामले में श्री शंभूशरण के विरुद्ध राशि वसूली सहित आवश्यक कानूनी तथा अनुशासनिक कार्रवाई भी सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता को गंभीरता से लिया जायेगा क्योंकि ऐसे सभी मामले जिलाधिकारी महोदय, मधेपुरा को भी संसूचित किये जाएँगे।

(अनुपालन : पंचायत सचिव/मुखिया, जजहट सबैला/प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिंहेश्वर)

वर्त्तमान पंचायत सचिव ने यह भी बताया कि शिक्षक नियोजन आवेदन प्रप्ति पंजी, जो 24.08.20112 को संधारित है, के साथ शिक्षक नियोजन सूची, 2012 एवं शिक्षक नियोजन 2012 की अनुमोदित सूची (जिला शिक्षा पदाधिकारी के पत्रांक-1154, दिनांक-17.05.2013) श्री मेहता को प्रभार में उपलब्ध कराया गया है परन्तु उर्पयुक्त अंकित कागजात के अलावा श्री शरण ने वर्ष 2003-04 से लेकर वर्ष 2013-14 तक कुल 30 पंजियॉ, पासबुक, चेकबुक(चालू) इत्यादि श्री शरण द्वारा प्रभार पंजी में अंकित की गई है। जिनका प्रभार श्री मेहता द्वारा ग्रहण किया गया है परन्तु पुरानी सामान्य एवं सहायक रोकड़ पंजियों में दिनांक-24.04.1993 से 02.11.1995 तक जवाहर रोजगार योजना की रोकड़ पंजी (मो० ईशा अली तत्कालीन मुखिया के कार्यकाल से संबंधित), दिनांक- 08.12.2003 से 14.02.2006 तक रोजगार गारंटी योजना रोकड़ बही (श्री परवेज आलम तत्कालीन मुखिया के कार्यकाल से संबंधित) तथा दिनांक-15.06.2014 से 11.04.2007 तक (श्रीमति अनिता देवी तत्कालीन मुखिया के कार्यकाल से संबंधित) संधारित है परन्तु 30.05.2007 से 31.08.2009 तक संधारित रोजगार गरंटी योजना की रोकड़ बही पर तत्कालीन पंचायत सचिव योगेन्द्र यादव का हस्ताक्षर तो अंकित है परन्तु तत्कालीन मुखिया श्रीमति अनिता देवी का हस्ताक्षर अंकित नही है, यह भी गहन जॉच का विषय है। इसके अलावा अन्य प्रमुख कागजात श्री शरण द्वारा जैसे योजना अभिलेख, मापी पुस्त, अभिश्रव इत्यादि किसी भी मद/शीर्ष का श्री मेहता को उपलब्ध नहीं कराया गया है।

(अनुपालन : प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिंहेश्वर)

<u>(ख) पंजी :</u>

<u>(i) प्राप्त पत्रों की पंजी :</u> वर्त्तमान पंचायत सचिव, श्री नारायण मेहता द्वारा दिनांक-08.02.2014 से 20.06.2014 तक संधारित है। जिसमें कुल प्राप्त पत्रों की संख्या-15 है।

<u>(ii) निर्गत पत्रों की पंजी :</u> दिनांक 11.02.2014 से 17.05.2014 तक संधारित है। जिसमें निर्गत पत्रों की कुल संख्या-03 है।

(iii) अनुक्रमण पंजी : पंजी दिनांक-08.02.2014 से निर्मित है, परन्तु संधारित नहीं। निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर पंजी संधारित करें।

(अनुपालन : पंचायत सचिव, जजहट सबैला/मुखिया, जजहट सबैला/प्र0वि0पदा0, सिंहेश्वर)

(iV) लंबित पत्रों की पंजी : पंजी दिनांक-08.02.2014 से निर्मित है, परन्तु संधारित नहीं। निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर पंजी संधारित करें।

(अनुपालन : पंचायत सचिव, जजहट सबैला/मुखिया, जजहट सबैला/प्र0वि0पदा0, सिंहेश्वर)

(v) उपस्थिति पंजी : पंजी दिनांक-08.02.2014 से निर्मित है, परन्तु संधारित नहीं। निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर पंजी संधारित करें।

(अनुपालन : पंचायत सचिव, जजहट सबैला/मुखिया, जजहट सबैला/प्र0वि0पदा0, सिंहेश्वर)

(Vi) निरीक्षण पंजी : पंजी दिनांक-17.05.2014 से निर्मित, परन्तु संधारित नहीं। पंचायत सेवक को पंजी संधारित करने हेतु निदेश दिया गया। अनुपालन 15 दिनों के अन्दर करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन : पं0 सचिव, ग्राम पंचायत जजहट सबैला/ मुखिया, ग्राम पंचायत जजहट सबैला)

(vi) ग्राम सभा पंजी : ग्राम सभा पंजी दिनांक-26.10.2013 से संधारित है, परन्तु पूर्व की पंजी नहीं दिखाई गई।

(अनुपालन : पं0 सचिव, ग्रा0 पं0 जजहट सबैला/ मुखिया, ग्रा0 पं0जजहट सबैला/प्र0वि0पदा0, सिंहेश्वर)

(Viii) ग्राम पंचायत (कार्यकारिणी) पंजी : पंजी दिनांक-30.07.2013 से संधारित। पूर्व की पंजी नहीं दिखाई गयी।

(अनुपालन : पंचायत सचिव, जजहट सबैला/मुखिया, जजहट सबैला/प्र0वि0पदा0, सिंहेश्वर)

(iX) जनशिकायत पंजी : पंजी निर्मित है। परन्तु संधारित नहीं। पंचायत सचिव को निदेशित किया गया कि 15 दिनों के अन्दर पंजी संधारित कर अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध करावें।

(अनुपालन : पंचायत सचिव, जजहट सबैला/मुखिया, जजहट सबैला/प्र0वि0पदा0, सिंहेश्वर)

(X) सूचना का अधिकार संबंधी पंजी : पंजी निर्मित है। परन्तु संधारित नहीं। पंचायत सचिव को निदेशित किया गया कि 15 दिनों के अन्दर पंजी संधारित कर अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध करावें।

(अनुपालन : पंचायत सचिव, जजहट सबैला/मुखिया, जजहट सबैला/प्र0वि0पदा0, सिंहेश्वर)

(Xi) आवंटन पंजी : पंजी निर्मित है। परन्तु संधारित नहीं। पंचायत सचिव को निदेशित किया गया कि 15 दिनों के अन्दर पंजी संधारित कर अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध करावें।

(अनुपालन : पंचायत सचिव, जजहट सबैला/मुखिया, जजहट सबैला/प्र0वि0पदा0, सिंहेश्वर)

(Xii) अंकेक्षण पंजी : निर्मित है परन्तु संधारित नहीं। पंचायत सचिव एवं मुखिया को निदेश दिया गाया कि 15 दिनों के अन्दर पंजी संधारित कर प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें।

(अनुपालन : पं0 सचिव, जजहट सबैला/ मुखिया, ग्रा0 पं0 जजहट सबैला/प्र0वि0पदा0, सिंहेश्वर)

(Xiii) भंडार पंजी : निर्मित है परन्तु संधारित नहीं। पंचायत सचिव एवं मुखिया को निदेश दिया गाया कि 15 दिनों के अन्दर पंजी संधारित कर प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें।

(अनुपालन : पं0 सचिव, जजहट सबैला/ मुखिया, ग्रा0 पं0 जजहट सबैला/प्र0वि0पदा0, सिंहश्वर)

(XiV) अभिश्रव पंजी : निर्मित है परन्तु संधारित नहीं। पंचायत सचिव एवं मुखिया को निदेश दिया गाया कि 15 दिनों के अन्दर पंजी संधारित कर प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें।

(अनुपालन : पं0 सचिव, जजहट सबैला/ मुखिया, ग्रा0 पं0 जजहट सबैला/प्र0वि0पदा0, सिंहेश्वर)

(XV) परिसम्पत्ति पंजी : निर्मित है परन्तु संधारित नहीं। पंचायत सचिव एवं मुखिया को निदेश दिया गाया कि 15 दिनों के अन्दर पंजी संधारित कर प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें।

(अनुपालन : पं० सचिव, जजहट सबैला/ मुखिया, ग्रा० पं० जजहट सबैला/प्र०वि०पदा०, सिंहेश्वर)

(Xi) मनरेगा अन्तर्गत संधारित पंजियाँ : पंचायत रोजगार सेवक अनुपस्थित। उनके द्वार मनरेगा पंजी नही दिखायी गई। उन्हे निदेश दिया जाता है कि कार्यकम पदाधिकारी, मनरेगा, प्रखंड सिंहेश्वर के माध्यम से एक सप्ताह के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।

(अनुपालन : पंचायत रोजगार सेवक, जजहट सबैला/ कार्यकम पदाथिकारी, मनरेगा, प्रखंड सिंहेश्वर)

(ग) योजनाओं की स्थिति :

(i) तेरहवां वित्त आयोग : तेरहवाॅ वित्त आयोग के रोकड़ पंजी का दिनांक–21.06.2014 को प्रारंभिक शेष मो0 5433.00 रू0 एवं अंतिम शेष मो0 5433.00 रू0 है। दिनांक–25.06.2014 को स्थल निरीक्षण निर्धारित। स्थल जाॅचोपरान्त प्रतिवेदन अलग से जिलाधिकारी, मधेपुरा को भेजा जायेगा।

(ii) बी0आर0जी0एफ0 : दिनांक–31.03.2014 को बी0आर0जी0एफ0 योजना की रोकड़ पंजी का प्रारंभिक शेष मो0 4643.00 रू0 एवं अंतशेष मो0 186991.00 रू0 मात्र है। दिनांक–25.06.2014 को स्थल निरीक्षण निर्धारित। स्थल जाॅचोपरान्त प्रतिवेदन अलग से जिलाधिकारी, मधेपुरा को भेजा जायेगा।

(ii) चतुर्थ वित्त आयोग : दिनांक–21.06.2014 को चतुर्थ वित्त आयोग के रोकड़ पंजी का प्रारंभिक शेष मो0 312206.00 रू0 एवं अन्त शेष मो0 312206.00 रू0 मात्र है। दिनांक–25.06.2014 को स्थल निरीक्षण निर्धारित। स्थल जाॅचोपरान्त प्रतिवेदन अलग से जिलाधिकारी, मधेपुरा को भेजा जायेगा।

(iV) सामाजिक सुरक्षा पेंशन पंजी : संधारित है।

(v) इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों की पंजी : संधारित नही है।

(vi) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्वावस्था पेंशन योजना : संधारित नहीं है।

(vii) कबीर अत्येष्टि योजना : निर्मित परन्तु संधारित नहीं।

(viii) जन्म पंजी : निर्मित परन्तु संधारित नहीं।

(ix) मृत्यु पंजी : निर्मित परन्तु संधारित नहीं।

(x) विवाह निबंधन पंजी : दिनांक–01.01.2012 से 12.03.2014 तक संधारित है, परन्तु मुखिया एवं पंचायत सेवक का हस्ताक्षर पंजी में अंकित नहीं है।

(xi) निगरानी समिति : निर्मित परन्तु संधारित नहीं।

(xii) वार्षिक कार्य योजना : निर्मित परन्तु संधारित नहीं।

(xiii) अन्न कलश योजना पंजी : पंचायत सचिव एवं मुखिया द्वारा बताया गया कि इस पंचायत में यह योजना नहीं है। इसलिए पंजी संधारित नहीं है।

(अनुपालन : उपरोक्त कमांक–III से XIII तक की पंजियों का संधारण पंचायत सचिव, जजहट सबैला/प्र0पं0रा0पदा0/प्रं0वि0पदा0, सिंहेश्वर)

(xiv) रोकड़ एवं सहायक रोकड़ पंजी :

(क) सहायक रोकड़ पंजी : सहायक रोकड़ पंजी मदवार एवं शीर्षवार संधारित है। जिसका संक्षिप्त व्यौरा मुखिया एवं पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत किया गया। रोकड़ पंजी निम्नप्रकार संधरित है :

(i) दिनांक–31.03.2014 को बी0आर0जी0एफ0 योजना की रोकड़ पंजी का प्रारंभिक शेष मो0 4643.00 रू0 एवं अंतशेष मो0 186991.00 रू0 मात्र है।

(ii) तेरहवाॅ वित्त आयोग के रोकड़ पंजी का दिनांक–21.06.2014 को प्रारंभिक शेष मो0 5433.00 रू0 एवं अंतिम शेष मो0 5433.00 रू0 है।

(iii) दिनांक-21.06.2014 को चतुर्थ वित्त आयोग के रोकड़ पंजी का प्रारंभिक शेष मो0 312206.00 रू0 एवं अन्त शेष मो0 312206.00 रू0 मात्र है।

<u>(ख) सामान्य रोकड़ पंजी :</u> संधारित नहीं है। यह आश्चर्य का विषय है कि इस पंचायत में सामान्य रोकड़ पंजी संधारित नहीं है। मुखिया एवं पंचायत सचिव को निदेश दिया गया कि संधरित सहायक रोकड़ पंजी एवं बैंक पासबुक के आधर पर भली भाँति सत्यापित कर मदवार एवं शीर्षवार सामान्य रोकड़ पंजी का संधारण कर प्रविष्टि अद्यतन करें। साथ हीं संबंधित बैंको में जमा राशि का अद्यतन सत्यापन (Reconsiliation) भी सुनिश्चित करें। 15 दिनों के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

(अनुपालन : पं0 सचिव, ग्रा0 पं0 जहट सबैला/ मुखिया, ग्रा0 पं0 जजहट सबैला/प्र0वि0पदा0, सिंहेश्वर)

<u>(घ) लेखा का संधारण :</u>

<u>(i) प्रिया-सॉफ्ट :</u> वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 अन्तर्गत बी0आर0जी0एफ0, बारहवीं एवं तेरहवीं वित्त आयोग के अन्तर्गत संचालित योजनाओं की प्रविष्टि (Data Entry) प्रिया सॉफ्ट में कर दी गई है। परन्तु वार्षिक लेखा (Year Book) Closed है।

<u>(ii) एक्शन प्लस :</u> वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 अन्तर्गत बी0आर0जी0एफ0, बारहवीं एवं तेरहवीं वित्त आयोग के अन्तर्गत संचालित योजनाओं की प्रविष्टि एक्शन प्लान के Data Portal में परिवर्त्तित (Convert) कर दी गई है।

<u>(च) कार्यालय भवन की स्थिति :</u> पंचायत भवन, जजहट सबैला का निर्माण बी0आर0जी0एफ योजना के तहत योजना संख्या-01/2008-09 से नव निर्मित है तथा बहुत अच्छी हाल में पाया गया। पंचायत भवन में कुल 06 कमरे एवं एक बड़ा सभाकक्ष तथा पक्के फर्श वाल खुला-खुला ऑगन है, जो पक्की चाहरदिवारी से रक्षित है तथा मुख्य प्रवेश द्वार भी सुन्दर ढंग से निर्मित है।

आँगन का पक्का फर्श एवं बैठने के लिए चारो तरफ से पक्का बैंच वर्ष 2013-14 में योजना संख्या-03/2013-14 के तहत चतुर्थ वित्त आयोग के अन्तर्गत बनाया गया है।

पंचायत भवन को मुख्य तोरण द्वार वर्ष 2009-10 में 12वीं0 वित्त आयोग से बनाया गया है।

<u>(छ) अन्यान्य : योजनाओं का स्थल निरीक्षण :</u>

वर्त्तमान प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिहारीगंज दिनांक-23.05.2014 से प्रभार ग्रहण कर कार्य कर रहे हैं। प्रभारी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, बिहारीगंज उपस्थित थे।

<u>निष्कर्ष :</u> निरीक्षण कम में दिनांक-18.11.2013 एवं 20.11.2013 को वर्त्तमान मुखिया श्रीमति सोगरा खातुन द्वारा अपने पति श्री मोतिउर रहमान के नाम से बी0आर0जी0एफ0 योजना का कमशः चेक संख्या-090181, सन्निहित राशि 50000.00 रू0 एवं चेक संख्या-090186, सन्निहित राशि 35000.00 रू0 का निर्गत है, जो घोर अनियमितता एवं गबन का द्योतक है, जिसमें तत्कालीन पंचायत सचिव श्री शंभूशरण की संलिप्तता एवं इस फर्जीवाड़े में मिलीभगत से इन्कार नहीं किया जा सकता है। प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिंहेश्वर को आदेश दिया जाता है ि कइस मामले में अविलम्ब समुचित कानूनी कार्रवाई करें।

इसीप्रकार तेरहवां वित्त आयोग योजनान्तर्गत दिनांक-05.09.2013, चेक संख्या-089141, सन्निहित राशि 90000.00 रू0, दिनांक-08.09.2013 चेक संख्या-089142, सन्निहित राशि 90000.00 रू0, दिनांक-09.09.2013, चेक संख्या-089143, सन्निहित राशि 100000.00 रू0 तथा दिनांक-02.09.2013, चेक संख्या-089145, सन्निहित राशि 90000.00 रू0 इत्यादि मुखिया द्वारा पति के नाम निर्गत है।

(अनुपालन : प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिंहेश्वर)

आज दिनांक-21.06.2014 को भारी वर्षा के कारण इस पंचायत की नई एवं पुरानी योजनाओं का भौतिक रूप से स्थल निरीक्षण नहीं किया जा सका। पंचायत सचिव श्री मेहता एवं प्रखंड पंचायत राज

पदाधिकारी श्री सतीश कुमार सिंह सहित प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिंहेश्वर को आदेश दिया जाता है कि यदि वर्ष नहीं हुई तो दिनांक-24.06.2014 को स्थल निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जायेगा। निरीक्षण के समय पंचायत सचिव/ प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी /प्रखंड विकास पदाधिकारी स्थल पर 11:00 बजे पूर्वाहन में उपस्थित रहेंगे।

(अनुपालन : पंचायत सचिव/मुखिया, जजहट सबैला/प्र0पं0रा0पदा0/प्र0वि0पदा0, सिंहेश्वर)

ह0/-
जिला पंचायत राज पदाधिकारी
मधेपुरा

ज्ञापांक 375 /पं0, मधेपुरा, दिनांक 23/06/2014 ।

प्रतिलिपि : श्री नारायण मेहता, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत जजहट सबैला /मुखिया, ग्राम पंचायत जजहट सबैला, प्रखंड-सिंहेश्वर को सूचनार्थ अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिंहेश्वर/ प्रभारी प्रखंड पंचायत राज पदा0, सिंहेश्वर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों, मधेपुरा जिला/आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा को ई-मेल द्वारा सूचित करने तथा मधेपुरा के Website पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

ह0 23/06/14
जिला पंचायत राज पदाधिकारी
मधेपुरा